श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने आरोप लगाया है कि आकाशवाणी के द्वारा लोक सभा की कार्यवाही को जानबूझ कर सप्रैस किया जाता है । (**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे): यह गलत बात है । आपका आरोप बिल्कुल असत्य है ।

श्री राम विलास पासवान : आप जांच कराइये ।

श्री बसन्त साठे : जांच कराने का सवाल नही है, मैं आपको पूरा ब्यौरा दे दूगा । (**व्यवधान**)

श्री मर्यादाराम बागड़ी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गैर-पार्लियमेंटरी शब्द का इस्तेमाल किया है । उन्होंने कहा है आप असत्य बोलते है । उनको कोई अधिकार नहीं है असत्य कहें । आप कौन होते है असत्य कहने वाले (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: झूठा नही कहा हैं । झूठा शब्द अनपार्लियामेन्टरी है ।

Unparliamentary word is not to be retained.

श्री बसन्त साठे : अनट्रू अंग्रेजी मैं समझ में आता है । मैंने आपको झूठा नहीं कहा है, अनट्रू कहा है । (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: Now Calling Attention.—Shri Harikesh Bahadur.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SITUATION ARISING OUT OF CLOUDBURST IN GYANSU VILLAGE OF UTTARKASHI IN UTTAR PRADESH

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से मैं अविलंबनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :

> " उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी के ग्यानसु गांव में बादल फटने तथा समस्त गांव के कथित नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप लोगों पर आ पड़ी घोर विपत्ति ।"

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): Mr. Speaker, if you permit, I will read it in English.... (*Interruptions*).

रेल मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : प्वाईंट आफ आर्डर सर । यहां की हमेशा यह परम्परा रही है कि हिन्दी में सवाल किए जाते रहे तो अंग्रेजी में जवाब दिए जाते रहे ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी कोई मनाही नहीं है । (**व्यवधान**) ऐसी कोई बात नही है । जिसको हिन्दी में बोलना हो हिन्दी में बोले और अंग्रेजी में बोलना हो अंग्रेजी मे बोले । इसमें कोई मनाही नहीं है ।

श्री कमला पति त्रिपाठी : मान्यवर, हिन्दी में सवाल होता है, तो अंग्रेजी में जवाब दिया जाता रहा है और अंग्रेजी में सवाल होता है, तो हिन्दी में जवाब दिया जाता रहा है । यहां की परम्परा है कि दोनों भाषायें चलती रही हैं, दोनों को चलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई रूकावट नही है ।

श्री कमला पति त्रिपाठी : इसमें अच्छा होता है कि हिन्दी में सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे दो अंग्रेजी में आए तो अंग्रेजी में दे दो । लेकिन दोनों चलें, तो इसमें कोई आपति नहीं होनी चाहिऐ ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । जब स्पीकर खड़ा होता है तो सब लोग बैठते है । यह गलत परंपरा क्यों चलाते है, क्यों नियमों का उल्लघन करते है.....देखिए जब स्पीकर खड़ा होता है तो सब सुनते है । सदस्य यदि उल्लंघन करते है तो यह अच्छी बात नही है । तरीके से चलना चाहिए। उत्तेजना से सिवाय विनाश के कुछ नही मिलता है .....(**व्यवधान**).....मेरी बात सुनिए.. जब मैं बोल रहा हू, तब आप नही बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : बागड़ी जी समझे ।

अध्यक्ष महोदय : बागडी जी भी इस बात को समझे और सारे सदस्य समझे । सवाल इतना है कि हाउस की परंपरा है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषायें चलती रहें । जिसको हिन्दी आती है, वह हिन्दी में जवाब दे अच्छा रहता है, यदि हिन्दी मे सवाल आए तो हिन्दी में जवाब दे । लेकिन अगर कोई अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, तो वह कर सकता है । किसी सदस्य को यहां ट्रेजरी बेंच पर अंग्रेजी नहीं आती है, उसका सवाल हिन्दी में होता है तो यहां ट्रांसलेशन भी होता लेकिन अगर वह अंग्रेजी में नहीं बोल सकता तो उसके लिये हम मजबूर किसे कर सकते है । किसी को न हिन्दी के लिए मजबूरी है, न अंग्रेजी

के लिए मजबूरी है । हिन्दी हमारी मातृभाषा है, इसका सम्मान करना हमारा धर्म है । सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी पर भाषा को थोपना हमारा धर्म नहीं है । इसलिए ऐसा मत..।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत.... आप क्यों ऐसा करते हैं, जब मैं बोलता हूं । ... (व्यवधान) ....मौलाना साहब आप मत बोलिए। आप मुझे रूल दीजिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, पंडित जी किस रूल में बोल रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको एलाउ किया था ।

श्री मनीराम बागड़ी : कृषि मंत्री ...

अध्यक्ष महोदय : मेरा कोई मंत्री नहीं है, सारे आनरेबल मैम्बर्स हैं...

श्री मनीराम बागड़ी : मुझे भी एलाउ कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के अंतर्गत ?

श्री मनीराम बागड़ी : रूल 376 के अंतर्गत । एक रूल है--एक तरीका है । भाषा के सवाल पर लोक सभा में परम्परा है कि जो भाई हिन्दी नहीं जानता है, उससे जबरदस्ती हिन्दी नहीं बुलवाई जाती है और जो अंग्रेजी नही जानता है, उससे जबरदस्ती अंग्रेजी नही बुलवाई जाती है । लेकिन कायदा यह है कि अगर हिन्दी जानता हो और सवाल हिन्दी में किया हो तो उसका जवाब हिन्दी में देना चाहिए और सवाल अंग्रेजी में किया है...।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली ...प्रजातन्त्र में किसी पर दबाव नही डाला जा सकता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

श्री मनीराम बागड़ी: हिन्दी भाषा पर डालेंगे ? कमलापति जी इस मामले में सही नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने रूलिंग दे दी है । आप बोलिए । यह मंशा है, किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है । आपकी बात भी मान ली, पंडित जी की बात भी सही है ।

श्री मनीराम बागड़ी : देखिए ...

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाउ नहीं करूंगा ...दबाव किसी पर नहीं डाला जा सकता है, किसी भाषा पर दबाव नहीं डाला जा सकता है ।

श्री मनीराम बागड़ी : कायदा है ।

अध्यक्ष महोदय : मन की बात है ।

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Nothing will go on record without my permission.

किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है.. मैं इजाजत नही दे रहा हूं ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): स्पीकर साहब, उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी में हाल ही में एक दुर्भाग्यपूर्ण और दु:खद दुर्घटना हुई । उत्तर प्रदेश सरकार से पूछने पर पता लगा है कि भारी वर्षा के कारण 24 जून, 1980 को रात 11 बजे उत्तरकाशी के निकट भू-स्खलन हुआ । उत्तरकाशी की नगरपालिका-सीमा में स्थित गयांसू गांव के कुछ मकान एक नाले के शिलाखण्डों के गिरने से नष्ट हो गए । अभी तक 21 शव निकाले जा चुके हैं । तीन व्यक्ति जख्मी हुए थे, लेकिन अब वे खतरे से बाहर हैं । तीन व्यक्ति लापता हैं । जिस परिवार में एक सदस्य की मौत हुई है, उसके लिए राज्य सरकार ने 2000 रुपए, जिसमें दो व्यक्ति मरे हैं, उसके लिए 3000 रुपए और जिस परिवार में दो से अधिक सदस्यों की जानें गई हैं, उसके लिए 5000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से अनुग्रह अदायगी की मंजूरी दी है । घायल व्यक्तियों के लिए उनकी चोट के अनुसार 300 रुपए से 1000 रुपए तक अनुग्रह राहत की मंजूरी दी गई है । मकान बनाने के लिए भी राज सहायता दी जा रही है । राज्य के पर्वतीय विकास मंत्री राहत कार्यों की निगरानी करने के लिए तत्काल हैलीकाप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे । सार्वजनिक निर्माण विभाग को हिदायत दी गई है कि वह भविष्य में भू-स्खलन की रोक-थाम करने के लिए नाले में एक पुश्ता बनाए । मलवा हटाने के लिए टेहरी तथा देहरादून से बुलडोजर लाए गए हैं । आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर और एक संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक व्यक्ति-गत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं । गांव की आबादी वाली जगह को इस तरह नियोजित करने का प्रस्ताव है, जिससे उस पर ऐसे भू-स्खलन का कम असर पड़े । राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मैंने देखा और उनकी बातें सुनी । इस में जो राहत के लिये पैसा देने की बात कही गई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धनराशि बहुत कम है, इस में वृद्धि की जानी चाहिए ।

(श्री हरिकेश बहादुर)

इस स्टेटमेन्ट में यह भी लिखा गया है कि इस गांव को बचाने के लिये बहुत से उपाय किये जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल उसी गांव का मामला नहीं है, इस तरह के भूस्खलन हमेशा उस क्षेत्र में हुआ करते हैं। अभी दो साल पहले भागीरथी में एक बहुत बड़ी चट्टान टूट कर आ गिरी थी जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो गया था और यह डर पैदा हो गया था कि यदि चट्टान कहीं हटी तो कई जिले साफ हो जायेंगे और मैदानों भागों में भी उसका बहुत भयंकर असर पड़ेगा। लेकिन किसी प्रकार वह संकट टल गया और उतना बड़ा कष्ट नहीं आया जिस की आशंका थी।

अभी कुछ ही समय पहले टिहरी-गढ़वाल के रगड़ा गांव में भी भूस्खलन हुआ, जिस में 5 आदमी मर गये। हर जगह इस तरह की चीजें हो रही है। सवाल यह नहीं है कि कहीं एक जगह ऐसी घटना होती है तो उसके बचाने का प्रबन्ध करें, महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के सवाल पर आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? यह होता इसलिये है कि वहां पर जंगलों की कटाई बहुत तेजी से होती है। जब तक जंगलों की कटाई को नहीं रोकते और नया जंगल नहीं लगाते तब तक समस्या का समाधान नही हो सकता। लेकिन कारण क्या है जिसके कारण जंगल काटे जा रहे हैं? उसका मुख्य कारण यह है कि वहां के लोग अपने मकान बनाने के लिए और जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और इन्ही कारणों से वे जंगल काटते आ रहे है। वहां के लोगों को सीमेंट, लोहा, गैस, मिट्टी का तेल सस्ते दामो पर यदि दिया जाए तो यह जंगल काटने का काम रुक जाएगा। सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है और कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अभी मंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नही मांगी है। लेकिन सवाल इस बात का नही है कि राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता मागी है या नहीं, अगर आपकी जानकारी में कोई चीज आयी है तो आप स्वयं राज्य सरकार को सहायता दे सकते है? अतः मै आप से सवाल करना चाहता हू कि :—

(ए) जो धन राहत हेतु दिया गया है, वह धन बहुत कम है। क्या केन्द्र सरकार उसमें कुछ वृद्धि करेगी?

(बी) केन्द्र सरकार ने अभी तक क्या सहायता की है?

(सी) जंगलों के काटे जाने के कारण इस प्रकार भूस्खलन होता है, क्या सरकार वनों की रक्षा हेतु कठोर कदम उठायेगी तथा नये जंगल लगाये जायेंगे? और जिन कारणों से जंगल काटे जाते हैं क्या उन कारणों को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय स्पीकर साहब जो यह अचानक हादसा हुआ उसके बारे में कल शाम 6 बजे के बाद आपका हुक्म मिला कि आपने मोशन एडमिट कर लिया है। उस समय तक दफ्तर बंद हो चुका था। लेकिन आपका हुक्म मिलने के बाद जितनी हम से कोशिश हो सकती थी हमने कोशिश कर के इसके बारे में फौरन जानकारी हासिल की।

रातों रात जो हम को जानकारी मिली उससे इतना ही पता लगा कि यह हादसा जो लेण्ड स्लाइड्स का हुआ, उसका असर जो सारा गांव था उसके ऊपर नहीं था। कुछ मकान या झोपड़ियां वहां मजदूरों ने या तो किराये पर लिये हुए थे या बनाये हुए थे जो कि वहां सात सौ फीट ऊंची पहाडी से एक बड़ा नाला आता है, उस नाले के बीच में, उसके बेड में थे। उस में कुछ मलबा रुका हुआ था। उस रोज अचानक रात को ग्यारह बजे बारिश आयी और जो उसमें पानी भरा हुआ था वहां रुकावट दूर हुई होगी और अचानक सारे पत्थर और पहाड़ नाले में फिसल पड़े। नाले के बीच में तीन चार मकान थे जो कि खत्म हो गये हैं। इसका गाव पर कोई असर नही हुआ है। ऐसा भी मालूम हुआ है कि उस रोज कुछ मजदूर लोग अपनी तनख्वाह लेने के लिये वहां गये हुए थे। उनमें कुछ तनख्वाह लेने के बाद वापस चले गये और कुछ दूर अपने गाव नही जा सके। वे वही उन मकानों में अपने साथियो के पास ठहर गये जिसकी वजह से भी वहा काफी मौतें हुईं। यह बहुत दुःख की बात है। लेकिन यह मामला लोकल है। इसका ज्यादा ताल्लुक राज्य सरकार से है। चूंकि यह मामला यहा रेज हुआ और आपने इजाजत दी तो जो जानकारी हमे मिली है उसको मैं अर्ज कर रहा हू।

इसमें राज्य सरकार ने जो सहायता दी है उसको मैंने आपको बतलाया। राज्य सरकार ने अभी तक कोई सहायता सेन्ट्रल गवर्नमेंट से नहीं मांगी है। अगर वह कोई सहायता मागेगी तो जितनी सहायता हम दे सकते हैं वह करीब दी जाएगी। ऐसी केजेमिटीज में राहत के काम करने के लिए यू० पी० गवर्नमेंट को 11 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी दी हुई है। फाईनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन के मुताबिक स्टेट्स के पास मार्जिन मनी होती है जिसमें से इन चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर कही ज्यादा खर्च की जरूरत हो, कोई भारी मुसीबत हो तो स्टेट्स गवर्नमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कह सकती है कि मजीद और सहायता दीजिए तो उसमें भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट सहायता देती है। वैसे चीफ मिनिस्टर के पास अपना रिलीफ फण्ड होता है। ऐसे हादसे के लिए डिस्ट्रिक्ट

के अन्दर भी रुपये होते हैं । उतरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर है और वहां नगरपालिका भी है ।

जहां तक जंगलों की रक्षा का सवाल है, यह एक बड़ा सवाल है इसके ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है । जंगलों की ज्यादा से ज्यादा रक्षा करने के लिए हम कानून के अन्दर तरमीम करने की सोच रहे है क्योंकि अभी तक यह सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट किस हद तक अपने अख्तियारात बढ़ा सकती है जिससे कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सके, उसके लिए हम शायद जल्दी ही आपके पास इस हाउस में आयेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : जिन कारणों से जंगल काटे जाते है, क्या उन कारणों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : इसके लिए तो रिश्वत भी जंगल के महकमे से दूर करनी पड़ेजी, ठेकेदारो को भी बीच में स हटाना पड़ेगा और यह कानून भी बदलना पड़ेगा । दरख्त भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे । यह सारा प्रोग्राम फोरेस्ट डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है जिसको हम और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं । उसके लिए और ज्यादा पैसा देने की बात सोची जा रही है । बहुत से गांव हैं जहां इस तरह का खतरा है । लोग पहाड़ों की जड़ मे मकान बना लेते हैं, नालों के साथ बना लेते है क्योंकि वहां पानी आसानी से मिल सकता है । अचानक अगर तेज बारिश हो जाती है तब बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है । दो इच बारिश एक रात को हो गई और उससे पहले कोई बारिश नही हुई थी और उसकी वजह से जितना रुका हुआ मलबा था वह सारा अचानक फिसल पडा और बीच में ये मकान दब गए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सब से पहले तो मै आप से यह निवेदन करना चाहता हू कि उत्तर जो मंत्री जी ने हिन्दी मे पढा है वह आहिस्ता आहिस्ता और अटक अटक कर पढा है । इसका कारण यह नही है कि उनको हिन्दी का ज्ञान नही है। बल्कि गलती आपके दफतर की है । आप देखे कि अंग्रेजी का कितना साफ छपा हुआ है । जहां तक हिन्दी के उत्तर का संबंध है अगर पडित भी कोई पढ़ना चाहे, हमारे कमलापति जी त्रिपाठी भी चाहे जो एक बहुत बड़े पंडित है और हिन्दी के ज्ञाता हैं तो वह भी नही इसको पढ सकते हैं । यह तो छपाई की बात है ।

हमारे कृषि मंत्री जी गांव के हैं, किसान हैं। उन्होंने कहा है कि कल छ. बजे उन से पूछा गया और उनका यह काम नही है, राज्य सरकार का यह काम है और जो टूटी-फूटी बातें उनको बताई गई उनको उन्होंने यहां बता दिया है । दरअसल, अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि मौत में भी हमारे यहां आदमी आदमी में फर्क किया जाता है । आदमी को नहीं देखा जाता है, उम्र नही देखी जाती है, आदमी कहां मरा है, किस जगह मरा है, किस कुल का है, किस खानदान का है आदि चीजों को देखकर ही उसके खानदान वालों को मदद दी जाती है । काश हम इस देश को गांधी का देश मान कर चलते, काश इस देश को हम शहीदों का देश मान कर चलते (**व्यवधान**) और भी कोई गांधी क्या है ? गांधी का मतलब ही महात्मा गांधी है। और कोई गांधी नहीं है। * * हो सकता है। लेकिन गांधी तो एक ही था । (**व्यवधान**) सरकार का काम है, वह जवाब दे । आप जैसे * * को मैं जवाब नही देता हूं । आप बैठ जाएं ।

श्री आरिफ मुहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस भाषा का माननीय सदस्य प्रयोग कर रहे हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान जरूर दिलाऊंगा । कभी * * कहते हैं और कभी * * शब्द का इस्तेमाल करते है । इस सदन की कुछ मर्यादा है । उस मर्यादा का पालन होना चाहिये (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded which is unparliamentary. Without my permission nothing should be recorded.

श्री आरिफ मुहम्मद खां : श्रीमन, माननीय मनी राम जी बागड़ी इस सदन को जनता पार्टी बना देना चाहते हैं । हम शोक विह्वल है । हम इस वक्त अपनी कोई प्रतिक्रिया नही देना चाहते हैं । लेकिन जिस तरह से वह हमें उकसा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । आप ही हमारे अधिकारों के रक्षक है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा सवाल करें ।

श्री मनी राम बागड़ी : कब यह देश गांधी का देश बनेगा जिस में मानव जिन्दगी तो शायद यकसां नही हो सकेगी लेकिन मौत की कीमत तो बराबर होगी ? इन मरने वालों को इमदाद दी गई है । मंत्री जी ने कहा है कि एक मरा होगा तो दो हजार रुपये, दो मरे होगे तो तीन हजार रुपये और दो से ज्यादा मरे होगे तो शायद पान्च छः हजार रुपये । जहां तक जख्मी होने वालो का सम्बन्ध है उनको तीन सौ दिया जाएगा । अब आप देखे कि हवाई दुर्घटनाएं भी होती है । हवा जहाज की दुर्घटना में कोई मर जाता है तो उसके परिवार वालो को एक लाख दिया जाता है । हमारे कमला पति जी त्रिपाठी जमीन पर चलते है और रेल दुर्घटना में अगर कोई मरता है तो उसके परिवार वालों को पचास हजार मिलता है । यह कम इसलिए मिलता है कि वह जमीन पर चलते हैं । जो बेचारे गांव के गरीब, दरिद्र और झोपडी में रहने वाले है उनके परिवार वालो को दो तीन हजार ही यहा दिया जा रहा है । उसकी आवाज नही है, उसकी सुनवाई नही होती

**Expunged as ordered by the Chair.

[श्री मनीराम बागड़ी]

है, वह भी दुर्घटना में मरा है लेकिन उसको दो तीन हजार ही दिया जा रहा है । हम आदमी की जिन्दगी की कीमत तो बराबर नहीं कर सकते हैं लेकिन मरने पर जो कीमत हम देना चाहते है वह तो हर एक को बराबर देनी चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जवाब बिल्कुल अधूरा है । उनका दोष मैं कैसे न मानूं ? फोन पर सीधा वह लखनऊ से पूछ सकते थे कि गांव की आबादी कितनी है, कितने उन में से लोग प्रभावित हुए है, उनके वास्ते राशन का क्या प्रबन्ध किया गया है, बीमार या जख्मी जो हो गए हैं उनके इलाज का क्या प्रबन्ध किया गया है, उनके लिए कितने मकान बनाए जाएंगे या मकानों की व्यवस्था करने के मामले में उनकी क्या मदद की जाएगी । इस सब की जानकारी भी उन्होंने नहीं ली है ।

दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि कम-से-कम कृषि मंत्री जी को तो ध्यान देना चाहिये था, चाहे उत्तरप्रदेश की सरकार ने कुछ मांगा या नही, आपका इखलाकी फर्ज था । उन्होंने तो सारी कोताही की है, 24 तारीख की खबर है 150 से 200 तक के मरने की और यहां पर 2100 की है। एक जोरदार घटना घटी है, उसकी इत्तिला भी नही दी आपसे मदद भी नही मांगी । कुछ मदद की है जो कि नहीं के बराबर है । आपका फर्ज था कि अपने फंड्ज से प्रधान मंत्री के फंड्ज से कुछ न कुछ इन्सानी तौर पर उनकी मदद करने का, इमदाद पहुंचाने का । यह तो अस्थायी बात हुई ।

स्थायी तौर पर मैं निवेदन करूगा कि हवाई जहाज, रेल और झोंपड़े में मरने वालों को मदद देने में जो फर्क किया जाता है क्या इस फर्क को मिटाने का सरकार विचार कर रही है ? इसी तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है उनको प्राकृतिक प्रकोप, भगवान का प्रकोप कहकर जो जवाब दिया जाता है, तो उससे कोई शासन अपने आपको दोष से वंचित नहीं कर सकता है । चाहे उसका इलाज हो या न हो, उसका सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये । मुख्य कारण यह है कि जंगलात कट रहे है ।

चर्चा होती है जब कभी दुर्घटना होती है । जब दुर्घटना हट गई तो उसकी चर्चा नहीं । क्या कृषि मंत्री जी इस सदन को और राष्ट्र को यह विश्वास दिलायेंगे कि उनकी भरपूर कोशिश होगी कि जो जंगलात पूंजीपतियों ने ठेके पर लेकर काटने शुरु किये हैं, उनके ठेके सरकार कैंसिल करेगी और जंगलात की हिफाजत होगी और मरने वालों में जो 2 हजार, 50 हजार और 1 लाख का फर्क सहायता देने का है उसको दूर करने पर विचार करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय बागड़ी जी ने जो बातें कहां हैं, उनमें उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि भारत सरकार जो काम करती है, वह कायदे-कानून में बंधकर करती है । ऐसे एडहाक तरीके पर कोई बात आज अगर सरकार की तरफ से हो जायें तो उसको सारे देश में निभा पायेंगे या नहीं, यह भी सोचना है । फाइनेन्शियल रिसोर्सेज भी देखने पड़ते हैं ।

बागड़ी जी ने जिक्र किया हवाई जहाज में मरने वालो का, रेलों और बसों में मरने वाले लोगों का ती उन दुर्घटनाओं से यह बिल्कुल मुख्तलिफ है । हवाई जहाज में लोग सफर करते है, पर हवाई जहाज ठीक तरह से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का एक महकमा है, इसलिये उनको मुआवजा देना पड़ता है और देना चाहिये । यह सरकार का उसूल बन चुका है हर जगह । इसी तरह से रेलों में है । रेलों में लोग बैठते हैं, सरकार की रेल समझकर, सरकार की जिम्मेदारी है रेल ठीक चलें । तो वहां भी रेलवे मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है कि उन लोगों की सहायता की जाये जिनकी कि महकमे की कमी की वजह से मौत हुई हो । बसों में भी यही उसूल लागू होता है । लेकिन क्या हम यही उसूल जितने मकान गिरे है, जितने हादसे होते हैं, उसमें बना सकते है ? उसमें भारत सरकार कहां तक हिस्सा लेगी, यह बहुत बडी सोचने की बात है । यह मामूली बात नहीं है, जिस तरह से बागडी साहब कहते है, यह ऐसे तय नही हो सकती है ।

अभी चन्द दिन हुए, एक मकान की बालकनी गिर गई, ज्यादा लोग छज्जे पर चढ गये, 20 आदमी मर गये तो क्या किसी ने मुआवजा दिया, किसी ने सवाल उठाया इस चीज का । रोजाना मकान गिरते हैं, दिल्ली में कितने ही पुराने मकान गिर जाते है, भारत सरकार अगर इस तरह मुआवजा देना शुरु करे तो कितने ही हत्याएं और हादसे देश में होते हैं । यह लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, भारत सरकार के अपने कायदे बनाये हुए हैं।

अभी कल की ही बात है, मिन्टों में मिन्टोब्रिज के नीचे एक बस डूब गई ।

अगर वहां पर फायर ब्रिगेड न होता, और यह हादिसा दिल्ली में न होता, तो वहां पच्चीस तीस आदमी मर गये होते । उन्हें निकाला गया । दिल्ली में पार्लियामेंट है और यह घटना कनाट प्लेस के नजदीक हुई । कनाट प्लेस में घंटों तक पानी खड़ा रहा और सारा ट्रेफिक बन्द रहा । थोड़ी सी बारिश दिल्ली में हुई और सारी नालियां बेकार हो गईं । इतना पानी नहीं निकल सका और जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया ।

हो सकता है कि कई बच्चों की मौत हो गई हो। पहाड़ों में यह एक समस्या है। बहुत से गांव ऐसे है, जो पहाड़ों के नीचे बसे हुए हैं। वे दुर्घटना के शिकार हो सकते है। स्टेट गवर्नमेंट को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी आबादी को कसे महफूज करे। भारत सरकार का इतना ही फर्ज है कि वह इसमें स्टेट गवर्नमेंटस की सहायता करे। अगर स्टेट गवर्नमेंटस फलड वगैरह किसी भारी दुर्घटना के सिलसिले में हमसे सहायता मांगे, तो हम नान-प्लान फंडज में से सहायता दे सकते है। भारत सरकार ऐसे हादिसों में 75 फीसदी सहायता देती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट 25 फीसदी अपनी तरफ से मिला कर किसी की मदद करना चाहे। इस बारे में हमारे कायदे बने हुए है। सहायता मिलती रही है, मिल रही है, मिलेगी, अब भी मिल सकती है। लेकिन इन घटनाओ की सारी जिम्मेदारी भारत सरकार नही सम्भाल सकती है। मैं इस मामले मे माफी चाहता हूं

PETITION *RE* CONVERSION OF LATUR-MIRAJ NARROW-GAUGE RAILWAY LINE INTO BROAD-GAUGE LINE

SHRI R. K. MHALGI (Thane): Sir, I beg to present a petition signed by Shri G. S. Rahirkar and others regarding conversion of Latur-Miraj narrow-gauge railway line into a broad-gauge line.

12.37 hrs.

BRAHMAPUTRA BOARD BILL*

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Board for the planning and integrated implementation of measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley and for matters connected therewith.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Board for the planning and integrated implementation of measures for the control of floods and bank erosion in the Brahmaputra Valley and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI KEDAR PANDEY: I introduce the Bill.

12.38 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) RENEWAL OF LICENCE OF SHRI SEETHARAM COOPERATIVE SUGARS LTD. KOTT,-KOTA, ANDHRA PRADESH

MR. SPEAKER: Matter under rule 377.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Sir, the Government of India granted a licence to set up a sugar unit under cooperative sector at Kottakota, Narsipatnam Taluk, Visakhapatnam district in Andhra Pradesh on 23-2-74. Accordingly, a cooperative sugar factory known as Sri Seetharam Cooperative Sugars Ltd., Kottakota was registered in the year 1974. The management was not able to collect the share capital in time due to drought conditions and lack of interest. Then a new management came and vigorously collected the share capital but not completely. Now the Government of India called upon the above sugar factory to state their case within 30 days against the proposal to revoke the licence. After that, the Management requested to extend the time up to 31-12-1981 since they were not able to collect the required capital as the elections interfered with their work. The management collected Rs. 20 lakhs already. Some thousands of small and marginal farmers paid the share capital by taking loans from cooperative credit societies. They are having a great hope that the factory would come into being and help them to stabilize their income. Narsipatnam Taluk in Visakhapatnam district is a

*Published in Gazettee of India Extraordinary Part II, section 2, dated 1-7-80.